न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 34 / 2022

अनवान : –

1. मीरांदेवी पत्नी जगतपाल जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

—प्रार्थीया

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
2. तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

असल प्रार्थीगण

3. धर्मसिंह पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
4. शंकरलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी छानीबडी त0 भादरा।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री संदीप गोदारा प्रार्थीया

श्री मुंशीराम गोस्वामी अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 24/08/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं0 137 / 15 मु0न0 42 के किला न0 1/1, 1/2, 2/3, 10 मु0न0 43 के किला न0 6, 15, 16/3 की कुल 1.177है0 नहरी मय खाला की कृषि भूमि में प्रार्थीया के साथ साथ अप्रार्थीगण भी सहखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 सीएचएन के खाता सं0 100 / 14 के मु0न0 43 के किला न0 25 की 0.253है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए गांव छानीबड़ी से गोशाला रोड के चिपते ही मु0न0 43 के किला न0 21, 22 ,23, 24 के दक्षिणी तरफ स्वीकृत शुदा रास्ता है से होकर मु0न0 43 के किला न0 25 के दक्षिणी—पूर्वी तरफ आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए है। अतः प्रार्थीया उक्त रास्ता को स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं0 3 व 4 को वकील प्रार्थीया ने तर्क अंकित किया।

उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं0 137/15 मु0न0 42 के किला न0 1/1, 1/2, 2/3, 10 मु0न0 43 के किला न0 6, 15, 16/3 की कुल 1.177है0 नहरी मय खाला की कृषि भूमि में प्रार्थीया के साथ साथ अप्रार्थीगण भी सहखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 सीएचएन के खाता सं0 100/14 के मु0न0 43 के किला न0 25 की 0.253है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थी सं0 1 महेन्द्र सिंह की खातेदारी चक 3 सीएचएन के खाता सं0 100/14 के मु0न0 43 के किला न0 25 की 0.253है0 में से दक्षिण की तरफ पश्चिम से पूर्व व इसी किला के पूर्वी तरफ दक्षिण से उतर सीव डोल के पास एक–एक बिस्वा रास्ता के लिए निवेदन किया। इस हेतु प्रार्थीया व अप्रार्थी सं01 ने राजीनामा में किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं होने तथा किसी भी प्रकार से रास्ता की भूमि की एवज में भूमि का लेन–देन नहीं होना स्वीकार किया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं0 100/14 के मु0न0 43 के किला न0 25 की 0.253है0 भूमि में दक्षिण की तरफ पश्चिम से पूर्व तथा इसी किला के पूर्वी तरफ दक्षिण से उतर सीव डोल के पास–पास एक–एक बिस्वा इस प्रकार कुल 2 बिस्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कीया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/08/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ